

Title: Request the Central Government to direct the Food Corporation of India (FCI) to accept Swarnamasoori and 1001 the two varieties of paddy as fine varieties.

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): In Andhra Pradesh, the Food Corporation of India declared *swarnamasoori* and *1001* – the two varieties of paddy – as fine varieties last year. But this year, it declared those two varieties as ordinary varieties, due to which lakhs of farmers are suffering. There is a lot of variation in prices. The hon. Chief Minister of Andhra Pradesh had written a letter to the Consumer Affairs Minister also. Due to such declaration, the millers are treating them as ordinary varieties. Till the last kharif season, they treated them as fine varieties. This causes irreparable loss to the farming community. That is why I am humbly appealing to the Government through you, Mr. Speaker, Sir, that they should take immediate action to communicate to the FCI to accept the two varieties as fine varieties.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, देशभर में किसानों के मामले में आन्दोलन शुरू हो गया है और सरकार गंभीर नहीं है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: The Government is responding. Dr. Raghuvansh Prasad Singh, this is too much. This will not go on record.

(Interruptions) ❗*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : आज की किसानों के संबंध में चर्चा में तीन मुद्दे उठाए गए हैं और क्रमशः मैं तीनों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया देना चाहूंगा।

MR. SPEAKER: Today we are going to take up discussion under Rule 193 on the same subject.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I will take only very minimum time. सम्माननीय सदस्य श्री येरननायडू ने जो विषय उठाया है, स्वाभाविक रूप से It is about detailing of a variety of rice. So, I am not in a position at this juncture to make a reply. But I will definitely talk to the Consumer Affairs Minister and see that this problem is sorted out in Andhra Pradesh.

About the second point, it is being raised by Dr. Raghuvansh Prasad Singh for the last four or five days.

SHRI BASU DEB ACHARIA : We have also been raising it.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Yes. It is being raised by Shri Basu Deb Acharia also. I will come to the general problem afterwards. As far as any Standing Committee on Farmers, of the Parliament is concerned, the Government fully supports this idea.

All are aware that such Committees are not formed by the Government. They are formed by Parliament under the guidance of hon. Speaker and hon. Chairman. So, I would appeal to the hon. Speaker to call the leaders and decide the modalities for forming the Committee. As far as the Government is concerned, we fully support such a Committee.

* Not Recorded

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The Minister should at least read the Reports.

SHRI BASU DEB ACHARIA : That is the problem.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Those who read too many times do not become Ministers.

जो दूसरा मुद्दा है कि आज आन्दोलन में 4-5 लाख सर्वसाधारण किसान इकट्ठा हुए हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक किसानों का प्रश्न है, इसमें राजनीति का प्रश्न नहीं है। हम सब जो इस सदन में बैठे हैं, वे किसानों की बदौलत ही बैठे हैं। जैसे विपक्ष किसानों की बदौलत बैठा है, वैसे ही सत्ता पक्ष भी किसानों के समर्थन से ही बैठा है। अगर सत्ता पक्ष के पास बहुमत है तो बिना किसान के समर्थन के यह बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता। मैं किसानों को किसी में विभक्त नहीं करना चाहता। हर पांच में से चार वोट अगर किसान देता है तो सरकार और विपक्ष भी किसान बनाता है, इसलिए सरकार और विपक्ष कोई भी किसानों की समस्याओं की अनदेखी नहीं करना चाहेगा, न कर सकता है, न करनी चाहिए।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : हमें भाषण नहीं, एक्शन चाहिए। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Anil Basu, what is your action now? This is not a good action.

श्री प्रमोद महाजन : पिछले दो सप्ताह से दोनों सदनों में किसानों के विषय पर चर्चा हुई है। बहुत सारे अच्छे सुझाव दोनों सदनों में माननीय सदस्यों की ओर से आये हैं। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : आपने खेतिहर मजदूरों को छोड़ दिया, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनके बारे में भी तो बोलिये। They form fifty per cent

of the agriculturists. (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एग्रीकल्चर लेबर के बारे में कानून कब आयेगा? (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : मैं इसके बाद उस पर आता हूँ। मेरा यह कहना है कि दोनों तरफ से बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं और मैं सरकार की ओर से सदन को आर्खस्त करना चाहता हूँ कि इन सभी सुझावों पर उचित और तुरन्त कार्रवाई करने का हर्षसम्भव प्रयास सरकार करेगी।

जहां तक बसुदेव आचार्य जी ने किसी नये कानून की बात की है तो मैं इस क्षण उसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन मैं श्रम मंत्री और कानून मंत्री जी को इसके बारे में आपके सुझावों से अवगत कराऊंगा। उसमें कोई कानून बनेगा तो वह आपके सामने आयेगा। (व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उत्तर प्रदेश के किसानों ने आत्मदाह की घोणा की है, इसके बारे में प्रमोद महाजन जी ने कुछ नहीं कहा। आलू किसानों ने हापुड़ में खुदकुशी की घोणा की है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर यह कहीं सच हो जाये तो क्या होगा? गाजियाबाद जनपद में हापुड़ के किसानों ने यह कहा है कि हम आत्मदाह कर लेंगे और वहां के कोल्ड स्टोर के मालिकों ने कहा है कि हम आज बिजली बन्द कर देंगे। अगर वे आत्मदाह करने जा रहे हैं, उसकी घोणा हो चुकी है, सारे अखबारों में यह बात आ चुकी है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, हापुड़ केन्द्र शासित नहीं है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार है। इसमें केन्द्र का कोई सम्बन्धित मंत्री हो, उससे तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन राज्य सरकार के बारे में मैं क्या कहूँ। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आपकी नीतियां गलत हैं, उदार नीतियां आपने बनाई हैं, उदार नीतियों के कारण ही यह हो रहा है। यह सरकार गम्भीर नहीं है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

1224 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम भी किसानों के स्वाल पर सदन से वाक आउट कर रहे हैं।

1224 बजे

(तत्पश्चात् श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, through you, I request the hon. Minister to respond to the serious issue raised by Shri M.O.H. Farook about the cyclone in Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Sir, I would like to speak about Tamil Nadu cyclone issue....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Today we are going to discuss about floods, drought and other natural calamities under Rule 193. You can participate in the debate.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Adi Shankar, You can also participate in that debate. Please understand we are going to discuss cyclone also in that.